फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

रामेश्वर बनाम छीतरमल वगै0

...म मुकदमा प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. नं0 ......53...../2024

...या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	29.05.2024	प्रार्थी के अभि0 ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0ए0 के तहत पेश किया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हों। प्रार्थी/प्रार्थीगण के अभि0 को सुना गया। वक्त दौराने सुनवाई प्रार्थी/प्रार्थीगण के अभि0 ने अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी/प्रार्थीगण के अभि0 के तर्को पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, एवं राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी/प्रार्थीगण के हक में होना प्रतीत होता है। अतः उभय पक्षों को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर 371, 372/1, 373 की आड में प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 370, 374, 375 वाकै ग्राम गुवारडी, पटवार हल्का सायपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में मौके की यथास्थिति बनाये रखें। यदि इस आज्ञा बाबत कोई उज्र हो तो नियत दिनांक 27.06.2024 को न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर पेश करें। आदेश 39 नियम 3(ए)(1)(2)(3) व 3(ब) की पालना प्रार्थी/प्रार्थीगण द्वारा की जावें। आदेश 39 नियम 3(ए)(1)(2)(3) व 3(ब) की पालना नही करने पर जारीशुदा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी समझी जावेगी। अप्रार्थी/ अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस की जावें। पत्रावली दिनांक 28.06.2024 को पेश हों। उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ	
	28/6/24	पत्रावली पेश हुई। P.O. (S) अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते तलबी/~~जवाब~~ दिनांक 30/7/24 को पेश हो	
	30/7/24	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण को तलबी रजि० डाक से करवाई जाकर रसीद मय तामील पेशी पर पेश करें। पत्रावली दि० 6/9/24 को पेश हो	

6/9/24 पत्रावली पेश हुई. व्यवस्था ... अनुपस्थित/उपस्थित ... का ... करने ... प्रस्तुत किया ....पेश हो
07/10/24

07/10/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी
उप० । अप्रार्थीगण की तलबी
रजि० ए०डी० से करवाया जाकर
पेश करने हेतु आदेश जारी
किया जाकर पत्रावली दिनांक
25/10/24 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

25/10/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व
प्रार्थी अनुप० वकील प्रार्थी व प्रार्थी
को बार-बार आवाज लगवाई गई
तथा इन्तजार किया गया लेकिन
उप० नहीं। पत्रावली का अवलोकन
किया गया। पत्रावली को अदम
हाजरी व अदम पैरवी में खारिज
किया जाता है। पत्रावली के फल
शुमार होकर नतीजा दर्ज करके
तथा बाद मीयाद दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़